राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राजेन्द्र गौरा बनाम प्रभुदयाल

तारीख हुक्म	1092/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/01/2026 को पेश हो।	
13/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1281/372 रकबा 2.1496 हैक्टेयर वाके ग्राम बोबास, पटवार हल्का बोबास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोबनेर, जिला जयपुर में स्थित है, जो अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिसमे आने-जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। ऐसी सूरत में खसरा नम्बर 373 वाके ग्राम बोबास, पटवार हल्का बोबास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोबनेर, जिला जयपुर के उत्तरी पूर्वी सीमा में ए से बी सलग्न नक्शे में दर्शाए अनुसार खसरा नम्बर 373 में मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ा व 30 मीटर लम्बा रास्ता कायम किया जाकर, राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04/06/2025 पारित करते हुये प्रार्थी के पास आराजीयात खसरा नम्बर 1281/372 में पहुंच हेतु खसरा नम्बर 98, 99, 363, 366, 371/1 में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने एवं मौके पर चालु होना धारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसमे अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय तहसीलदार जोबनेर की मौका रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि तहसीलदार जोबनेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि खसरा नम्बर 1107/93 के मौके पर खातेदारी रास्ता है जिस पर वर्तमान में आसलपुर रेल्वे स्टेशन से बोबास जाने वाली डामर सड़क बनी हुई है एवं उक्त डामर सड़क से खसरा नम्बर 98, 99, 363, 366 व 371/1 में कच्चा रास्ता बना हुआ है जो कि खसरा नम्बर 371/1 कुम्हारों की ढाणी तक जाता है, उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड का भाग नही है। तहसीलदार द्वारा अपनी उक्त मौका रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट अंकन किया गया है कि प्रार्थी वर्तमान में 1280/372, 364, 361 पड़ोसी खातेदारी भूमि में आपसी सहमति	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से आ रहे है परन्तु मौके व रिकार्ड में रास्ता नही है। वादी के लिए कोई रास्ता नही होने के कारण रास्ता की आवश्यकता जरूरी है परन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट का मनमाने रूप से आशय निकालते हुये उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1281/372 में पहुंच हेतु खसरा नम्बर 98, 99, 363, 371/1 में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना तथा मौके पर चालू रास्ता होना धारित कर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट. को खारिज किये जाने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है। तहसीलदार जोबनेर की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास अपनी आराजी में आने-जाने हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है एवं विधि के प्रावधानों के अनुसार भी किसी भी खातेदार को उनकी खाते की आराजी को कृषि उन्नत बनाने हेतु कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित किये जाने हेतु रिकार्डेड रास्ता प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है एवं तहसीलदार जोबनेर की मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास अपनी आराजी तक कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है तथा वर्तमान में अपीलार्थी पड़ोसी खातेदार की भूमि में से ही आना-जाना कर रहे है तथा जहाँ से अपीलार्थी आना जाना कर रहे है वह रिकार्डेड रास्ता नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य प्रतीत होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जोबनेर को मौका रिपोर्ट के तथ्यों को गलत रूप से विवेचित कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटी किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04/06/2025 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1281/372 में अपीलार्थी के कब्जे की भूमि तक से खसरा नम्बर 373 में मौका रिपोर्ट के साथ सलग्न नक्शे के B बिन्दु तक 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने एवं उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली खसरा नम्बर 373 की भूमि की नियमानुसार गणना कर DLC से दूगनी राशि अपीलार्थी द्वारा अदा किये जाने तथा तदनुसार रास्ते की भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाकर मौके पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर